रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एम.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, सोमवार, जून 3, 1985/ज्येष्ठ 13, 1907
No. 277] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 3, 1985/JYAISTHA 13, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 3 जून, 1985

अधिसूचना

सं. 193/85-सीमाशुल्क

का. आ. 442(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश, राज्य में निम्नलिखित को—

(1) रामपुर जिले में मोदीपुर ;

(2) सुलतानपुर जिले में गौरीगंज ; और

(3) गाजियाबाद जिले में सूरजपुर,

भाण्डागारण केन्द्रों के रूप में घोषित करता है ।

[फा. सं. 473/176/84-सी. शु.-7]
टी. एच. के. घौरी, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 3rd June, 1985

NOTIFICATION

No. 193|85-CUSTOMS

S.O. 442(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares—

(i) Modipur in Rampur District;

(ii) Gauriganj in Sultanpur District; and

(iii) Surajpur in Ghaziabad District,

in the State of Uttar Pradesh to be warehousing stations.

[F. No. 473|176|84-CUS.VII]

T. H. K. GHAURI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985